(पुनरीक्षित) संक्षेपिका
विधानसभा प्रश्न कमांक 289 तारांकित की पूरक जानकारी
द्वारा – माननीय श्री तरूण भनोत

जबलपुर नगर में यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाये जाने हेतु दमोह नाका से मदनमहल (मेडीकल रोड तक) फ्लाई ओवर निर्माण हेतु रूपये 758.54 करोड की प्रशासकीय स्वीकृति प्रथम स्तरीय प्राक्कलन के आधार पर भारत सरकार सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय नई दिल्ली के पत्र क्र–RW/NH-12027/53/2015/MP/E-5 दिनांक 3.4.2017 से प्रदान की गई है। संपूर्ण फ्लाई ओव्हर की चौड़ाई एक समान 12.90 मीटर प्रस्तावित की गई है। उक्त फ्लाई ओव्हर के नीचे निर्माण किये जाने वाली दोनों ओर की सर्विस रोड की चौड़ाई नगर निगम जबलपुर के मास्टर प्लान 2021 में प्रावधानित सड़क चौड़ाई के अनुसार प्रस्तावित किया जा रहा है। तथापि सर्विस रोड की चौड़ाई का अंतिम निर्धारण योजना क्रियान्वयन हेतु संबंधित विभाग नगर पालिक निगम जबलपुर तथा म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी से परस्पर चर्चा अनुसार किया जावेगा। संपूर्ण फ्लाई ओव्हर की एक समान चौड़ाई 12.90 मीटर प्रस्तावित की गई।

जबलपुर मास्टर प्लान में प्रश्नाधीन सड़क मार्ग की चौड़ाई को तीन जोन में प्रावधानित किया गया है। प्रथम जोन दमोहनाका से टेलीग्राफ गेट नम्बर 2 (रानीताल) तक 36 मीटर, द्वितीय जोन टेलीग्राफ गेट नम्बर 2 से दशमेश द्वार के सामने तक 24 मीटर तथा तृतीय जोन महानद्दा से एल.आई.सी. ऑफिस के पहले तक 36 मीटर मार्ग चौड़ाई उल्लेखित है।

मदन महल से दमोहनाका तक फ्लाई ओव्हर निर्माण किये जाने हेतु रूपांकन ड्राईंग एवं डी.पी.आर. तैयार किया जा रहा है। फ्लाई ओव्हर को यातायात आवश्यकता के अनुसार शहर में उतारा जाना प्रस्तावित है। फ्लाई ओवर को मदनमहल से अधारताल चौक के आगे तालाब तक नहीं बनाया जा रहा है। केन्द्र शासन से फ्लाई ओव्हर निर्माण की स्वीकृति दमोहनाका से मदन महल (मेडीकल रोड तक) जारी की गई है तथा तदानुसार ही डी.पी.आर. तैयार किया जा रहा है।

प्रश्नांश ख की जानकारी नगर निगम जबलपुर से संबंधित है।

23/2/18
कार्यपालन यंत्री
लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण
संभाग जबलपुर

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

Executive Engineer
Urban Administration and Develpment
M.P. BHOPAL

https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=wm#inbox/161c33f5f8f898be?projector=1&messagePartId=0.1